

ANTI CORRUPTION BUREAU OF INDIA

Registered under:- ITA Act-1882, NITI AAYOG (GOVT. OF INDIA)

Committed By-Central Vigilance & Human Right Commision

Regd. Office:- Subhash Nagar Colony Shahjahanpur U.P. 242001

हमारा संकल्प :- भ्रष्टाचार मुक्त भारत



-:सभासद नियमावली:-

1. सामान्य बैठक में हर एक सदस्य पदाधिकारी एवं पदसिद्ध अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य है और रहेगी।
2. हर एक सदस्य पदाधिकारी को अपने वरिष्ठ अधिकारी पदाधिकारी का उचित मान सम्मान करना अनिवार्य है और रहेगा।
3. हर एक सदस्य पदाधिकारी का हर एक वक्तव्य संगठन के लिए महत्वपूर्ण एवं विचारणीय होगा।
4. हर एक जिलाध्यक्ष के कार्यालय में दो बैठके ऑनलाइन और एक बैठक ऑफलाइन होगी। और इसकी जिम्मेदारी संबन्धित जिलाध्यक्ष की होगी और रहेगी।
5. यदि कोई सदस्य/अधिकारी/पदाधिकारी लगातार दो बैठक ऑनलाइन और एक बैठक ऑफलाइन में अनुपस्थित रहता है तो उसे बिना किसी पूर्व सूचना से उसके पद से हटा दिया जायेगा। साथ ही अनुपस्थिति का कारण स्पष्ट ठोस होना चाहिए।
6. हर जिलाध्यक्ष को हर तीन माह में जिला स्तर पर सभी सदस्य/पदाधिकारियों को एक साथ लाना और वरिष्ठ की अध्यक्षता में त्रयमासिक बैठक का आयोजन करना होगा। ये सभी जिलाध्यक्ष के लिए अनिवार्य होगा और रहेगा।
7. हर सदस्य/अधिकारी/पदाधिकारी अपने वरिष्ठ के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य है और रहेगा। ना की अपने वरिष्ठ के आदेशों की अवहेलना करेंगे।
8. संगठन के हर सदस्य/अधिकारी एवं पदाधिकारी को सौंपे गये कर्तव्य के पालन की जिम्मेदारी प्रत्येक सदस्य/अधिकारी/पदाधिकारी पर बाध्यकारी होगी।
9. जब कोई सदस्य/पदाधिकारी अपनी राय व्यक्त कर रहा हो तो अन्य लोगों को उनकी बात में बाधा न डालते हुए उसे उसकी राय पूर्णरूप से व्यक्त करने देना और उनके ऊपर उचित ढंग से विचार करना सभी का उत्तरदायित्व होगा और रहेगा।
10. हर एक सदस्य/अधिकारी/पदाधिकारी के लिए समय सीमा का पालन करना अनिवार्य है। और रहेगा।
11. हर एक सदस्य/अधिकारी/पदाधिकारी द्वारा अपने स्वार्थ के लिए किसी भी तरह नगद/आर्थिक/पुरस्कार के लिए दिये गये कोई भी चीज या नगदी लेते हुए तथा पद का दुरुपयोग के सम्बन्ध में शिकायत पायी जाती है तो ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर जॉचोपरान्त दोषी पाये जाने पर उन्हें पद से स्थाई रूप से हटा दिया जायेगा और फिर आजीवन किसी भी प्रकार की सदस्यता नहीं मिलेगी। और स्थिति में वह स्वयं जिम्मेदार रहेगा। इसका संगठन जिम्मेदार नहीं रहेगा।
12. संगठन के विकास और संगठन के उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रत्येक सदस्य पदाधिकारी और अधिकारियों को अपने-अपने स्तर पर क्षेत्रीय अध्यक्ष की अनुमति और मार्गदर्शन में सामुदायिक उपयोगी कार्यक्रम आयोजित करेंगे। उसमें कला परामर्श व्याख्यान आदि के रूप में कार्यक्रम आयोजित करना एवं संचालन करना अनिवार्य होगा और रहेगा। और छोटे-छोटे कार्यक्रम आयोजित करते समय क्षेत्रीय अध्यक्ष की उपस्थिति रहेगी। एवं बड़े पैमाने के कार्यक्रम वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में आयोजित करने होंगे। छोटे-छोटे कार्यक्रम के आयोजन में तहसील अध्यक्ष/जिलाध्यक्ष उपस्थित होंगे/रहेगें लेकिन सभी कार्यक्रम की जानकारी प्रदेशाध्यक्ष को देना अनिवार्य होगा।
13. देश के हर एक महान व्यक्तियों की पूण्यतिथि/जन्मदिन और देश प्रमुख त्यौहार के उपलक्ष्य वरिष्ठजन की उपस्थिति में उपरोक्त गतिविधियों का आयोजन करना और अपनी रिपोर्ट वीडियो रिकार्डिंग व फोटो के रूप में देना अनिवार्य होगा।
14. सभी जिलाध्यक्ष को तीन माह में होने वाली हर मीटिंग का जायजा मीटिंग में लिए गये हर एक विषय और अगले माह के कार्यक्रम का आयोजन/योजना की जानकारी सभी सभासद अधिकारी/पदाधिकारी से मिलकर निर्णय लेना अनिवार्य है। सर्वसमस्त सहमति और अनुमोदन के वरिष्ठजन को सूचित करना अनिवार्य है और रहेगा।
15. हर सदस्य/अधिकारी/पदाधिकारी को अपने आरम्भिक नियुक्त कार्यकाल के दौरान 45 दिनों के अन्तराल पर संगठन के विकास के लिए कार्य करना आवश्यक है। ऐसा ना करने पर 45 दिनों तक इंतजार करने के बाद और संगठन के विकास के लिए कार्य नहीं करने पर उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के उनके पद से निष्कासित कर दिया जायेगा। और केवल सामान्य सदस्य के रूप में नियुक्त किया जायेगा। सभी सदस्य/अधिकारी/पदाधिकारी इस बात का ध्यान रखें।
16. संगठन के सभी सदस्य एवं पदाधिकारियों को समय-समय पर नियमों में होने वाले बदलाव की जानकारी भी समय-समय पर दी जायेगी और सूचित किया जायेगा।
17. उपरोक्त सभी नियम और नियमावली से वरिष्ठ से लेकर अंतिम सदस्य तक सभी पर लागू होगी, सभी सदस्य/अधिकारी/पदाधिकारी इस बात का ध्यान रखें।